लोक सुनवाई का वृत।

मेसर्स महालक्ष्मी इंटरप्राइजेज, प्रो0–श्री दिग्विजय सिंह, पिता–श्री रविन्द्र सिंह, पटेल नगर, नियर दुर्गा मंदिर छोटा गोबिन्दपुर, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, द्वारा भोजपुर सोन–14 बालू घाट मौजा–बलरा/चिल्हौनस, ग्राम–नानसागर, ब्लॉक–संदेश, जिला–भोजपुर के अन्तर्गत परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के तहत् दिनांक 27.05.2023 को अपराह्न 03:00 बजे भोजपुर जिला के संदेश प्रखण्ड सभागार, जिला–भोजपुर में लोक सुनवाई की गयी।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना सं0–एस.ओ. 1533, दिनांक 14 सिम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् राज्य स्तरीय पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार के द्वारा निर्गत TOR File.No.SIA/1(a)/2069/2022, dated 11.01.2023 के आलोक में श्री सत्य प्रकाश, जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, भोजपुर (जिला पदाधिकारी, भोजपुर के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, द्वारा दिनांक 27.05.2023 को अपराह्न 03:00 बजे संदेश प्रखण्ड सभागार, जिला–भोजपुर में लोक–सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न **(अनुलग्नक–1)**

इस लोक–सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा हिन्दुस्तान, प्रभात खबर, हिन्दुस्तान टाइम्स एवं टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से दिनांक 21.04.2023 को प्रकाशित की गयी थी **(प्रतिलिपि संलग्न)**। लोक–सुनवाई के दौरान श्री आशीष कुमार गुप्ता, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित जन–समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला गया। लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्देश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव/विचार/मंतव्य माँगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री मुन्ना कुमार शर्मा ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट पर्यावरण जिम्मेदारी (Corporate Environmental Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा । वाहनों पर ओवरलोडिंग नही की जायेगी। वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भू–जल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा।

पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण (460 नं0) का कार्य किया जायेगा। बालू खनन के दौरान पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के Sutainable Sand Mining Management Guidelines 2016 (SSMG-2016) एवं Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining-2020 (EMGSM-2020) के प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तुततिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवतः हैः–

कमांक	नाम एवं पता	प्रतिकिया/सुझाव
1.	श्री अशोक कुमार सिंह, पिता–श्री राम प्रसाद सिंह, ग्राम–नारायणपुर, जिला–भोजपुर	इनके द्वारा पूछा गया कि बालू खनन परियोजना से स्थानीय लोग को क्या लाभ मिलेगा। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय लोग को रोजगार प्रदान किया जायेगा। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का सृजन होगा। स्थानीय क्षेत्र के आस–पास ग्रीनवेल्ट विकास किया जायेगा। क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक वातावरण पर सकरात्मक प्रभाव पड़ेगा।
2.	श्री राहुल कुमार, ग्राम–त्रिकौल, जिला–भोजपुर	इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि बालू खनन परियोजना से होने वाले प्रदूषण नियंत्रण के लिए पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा जो सुझाव दिया गया है उसको शत–प्रतिशत लागू किया जाय।
3.	श्री विराट सिंह, ग्राम– चिल्हौनस, जिला– भोजपुर ।	इनके द्वारा पूछा गया कि ट्रक चलेगा तो धूल उड़ेगा, इसके लिए क्या उपाय किये जायेंगे। पर्यावरणीय सलाहकार बताया गया कि सड़क पर पानी का छिड़काव दिन में 2 बार किया जायेगा। सड़क का मरम्मत भी समय–समय पर किया जायेगा। बालू से लदा गाड़ी तिरपाल से ढ़ककर ले जाया जायेगा। ओभर लोडिंग नहीं किया जायेगा।
4.	श्री राजू कुमार यादव, स्व0 छेदी यादव, ग्राम–त्रिकौल , भोजपुर ।	इनके द्वारा पूछा गया कि बालू खनन परियोजना से स्थानीय लोग को किस तरह से रोजगार मिलेगा। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा

		बताया गया कि प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय लोग को रोजगार प्रदान किया जायेगा एवं उनके योग्यता के अनुसार उन्हें रोजगार दिया जायेगा। इसके अलावे भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का सृजन होगा।
5.	श्री रंजन कुमार, पिता–श्री रामचन्द्र सिंह, नानसागर, जिला–भोजपुर।	इनके द्वारा पूछा गया कि इस परियोजना के तहत् जो पेड़ लगाये जायेंगे कहाँ लगाऐंगे, उनका रख–रखाव कौन करेंगे। इस संबंध में पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि खनन परियोजना शुरू होते ही लगभग 460 पेड़ लगाये जायेंगे। इन पेड़ो की सुरझा एवं रख–रखाव परियोजना संचालक द्वारा किये जायेंगे। पेड़ हॉल रोड, गाँव के आस–पास इत्यादि जगह पर लगाये जायेंगे। पेड़ के रख–रखाव हेतु स्थानीय लोगों को ही माली के रूप में रखा जायेगा।
6.	श्री नरेन्द्र नाथ सिंह, राम नगर, जिला–भोजपुर।	इनके द्वारा पूछा गया कि बालू खनन परियोजना में कम्पनी का ही आदमी रहेगा या स्थानीय लोग को प्राथमिकता दी जाएगी। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि प्राथमिकता के आधार पर योग्यता अनुसार स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जायेगा।
7.	श्री विवेक सिंह, पिता–श्री राजीव बहादुर सिंह, नारायणपुर, जिला–भोजपुर	इनके द्वारा पूछा गया कि ट्रक चलेगा तो रोड टूट जायेगा। इसका मरम्मत कौन करेगा। इस संबंध में पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया परियोजना संचालक द्वारा पहुँच पथ का मरम्मत समय–समय पर किया जायेगा। NH/SH के मरम्मत सरकार द्वारा करायी जाती है।

खनिज विकास पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा बताया गया कि खनन प्रभावित क्षेत्र के लिए जिला खनिज फाउंडेशन में संचित राशि से इस क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेय–जल इत्यादि पर खर्च करने का प्रावधान है। खनन परियोजना के कुल लागत का 2% राशि इसमें संचित होता है। मिशन कायाकल्प के तहत् खनन प्रभावित क्षेत्र का विकास किया जाता है। इस क्षेत्र के प्रभावित आम जनता भी अपना मांग रख सकती है, इस राशि से उसको पूरा करने का अनुशंसा किया जायेगा।

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के क्रम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेगें एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ही ले जायेगें। बालू की खुदाई 3 मीटर ही करेगें। उन्होने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

उन्होंने कम–से–कम 600 पेड़ लगाने का सुझाव दिये। पौधो का रख–रखाव स्थानीय ग्रामीण के द्वारा ही सुनिश्चित कराया जाय।

उनके द्वारा बताया गया कि बालू खनन से फायदा–नुकसान दोनों होता है। नुकसान का भरपाई करना है। लाभ तभी मिलेगा जब सकारात्मक सोच रखेंगे। गाँव की अर्थ–व्यवस्था में भागीदारी बनें। जिला प्रशासन के साथ–साथ गाँव के लोग भी अनुपालन सुनिश्चित करायें। आपका सहयोग भी अपेक्षित है।

जन–सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सर्वसम्मति से बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

31-5-23

क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्षद्,पटना

31/5

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी
भोजपुर

उपस्थिति सूची

मेसर्स महालक्ष्मी इंटरप्राईजेज, प्रो०-श्री दिग्विजय सिंह, द्वारा सोन 14 बालू घाट, गाँव- नानसागर, मौजा- बलरा/चिल्हंस, अंचल-संदेश, जिला-भोजपुर में आयोजित लोक-सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूची: Time: 3.00 PM

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	श्री [illegible] प्रकाश	जिला खनिज विकास पदाधिकारी भोजपुर, आरा	27/5/23
2.	आशीष कुमार गुप्ता	संयुक्त पदाधिकारी, बि. रा. प्र. नि. पर्षद, पटना	22.5.23
3.	आनन्द प्रकाश	खनिज विकास पदाधिकारी भोजपुर, आरा	27/05/23
4.	Munna Kr. Sharma	Rian Enviro Pvt. Ltd. Patna	
5.	Rakesh Kumar Sin	Nansagar	
6.	Harendra Kumar	Nansagar	
7.	[illegible]	Nansagar	
8.	[illegible]	[illegible]	
9.	Ranjan Kumar	Nansagar	
10.	[illegible]	[illegible] Nansagar	
11.	Deepak Kumar	Nansagar	
12.	Ravi RANJAN	NANSagar	

13.	Vishnu Kum	Nansagar Nasratpur	Vishnu Ku
14.	[illegible]	Naansagar	[illegible]
15.	[illegible]	नानसागर	[illegible]
16.	Chandra Bhushan Singh	नीमहौल	चन्द्र भूषण सिंह
17.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18.	[illegible]	नानसागर	Hareram Yadav
19.	राहुल कुमार	[illegible]	Rahul Kumar
20.	दीपक कुमार सिंह	[illegible]	दीपक कुमार सिंह
21.	नन्द किशोर	[illegible]	नन्द किशोर
22.	[illegible] Kr. Singh.	[illegible]	[illegible] Kr. Singh
23.	[illegible]	नानसागर	[illegible]
24.	Chandan-Kumar	नारायणपुर	Chandan Kumar
25.	Santosh Kumar	नानसागर	[illegible] Kumar
26.	[illegible]	नारायणपुर	[illegible]
27.	[illegible]	नारायणपुर	[illegible]

28.	Manish kr. Singh	Narayanapur	Manish kr. Singh
29.	रितेश कुमार	नानसागर	रितेश कुमार
30.	Ashutosh Kumar Singh	[illegible]	[illegible]
31.	Pawan	[illegible]	[illegible]
32.	Shiv Kumar	[illegible]	[illegible]
33.	सुदामा सिंह	नारायणपुर	[illegible]
34.	Karan Pal	Nansagar	[illegible]
35.	[illegible]	नारायणपुर	Ashi
36.	छोटू सिंह	नानसागर	छोटू सिंह
37.	संतोष सिंह	नानसागर	संतोष सिंह
38.	[illegible] सिंह	नानसागर	[illegible]
39.	कमल कुमार सिंह	नानसागर	K. [illegible]
40.	Ram babu sing	नानसागर	Ram babu
41.	रोशन कुमार	नानसागर	रोशन
42.	धर्मेन्द्र कुमार	नानसागर	धर्मेन्द्र कुमार

43.	Suraj Kumar	NanSagar	Suraj
44.	ARVIND KUMAR	Nansagar	Arvind kr
45.	Rudal Kumar	Namsagar	Rudal
46.	Kundan Kr	Nansagar	Kundan Kr
47.	Raju Kumar	NanSagar	Raju Kur
48.	Chandan Kur	Nansagar	Chandan ku
49.	Raushan Kr	Nansagar	Rau
50.			
51.			
52.			
53.			
54.			
55.			
56.			
57.			